सुमेर सिंह उम्मेद सिंह राजपूत उर्फ सुमेर सिंह

बनाम

गुजरात राज्य

11 दिसम्बर 2007

(एस.बी.सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.)

दंड संहिता, 1860 : की धारायें 307 और 353-शिकायतकर्ता-पुलिस अधिकारी और आरोपी के बीच हाथापाई। आरोपी ने कथित रूप से शिकायतकर्ता की सर्विस रिवाॅल्वर छीन ली और उस पर गोली चला दी। नीचे के न्यायालयों द्वारा, अन्तर्गत धारा 307 और धारा 353 भा.दं.सं. 25(1) आयुध अधिनियम शस्त्र दोषसिद्व किया गया- आैचित्यता - अभिनिर्धारित: न्यायोचित नहीं। घटना के घटित होने के तरीके के संबंध में बहुत सी विसंगतियाॅं हैं - गवाह बयान से मुकर गए - दो गोलियां जाॅंच के लिए भेजी गई यद्यपि अभियोजन का विशिष्ट मामला है कि केवल एक गोली चलाई गई थी - घटना के समय शिकायतकर्ता की स्वयं की उंगली रिवाॅल्वर के ट्रिगर पर थी - मामला न तो धारा 307 के अधीन बनता है, न ही धारा 353 के अधीन बनता है - परिणामस्वरूप अभियोजन अन्तर्गत धारा-25 आयुध अधिनियम के तहत भी विफल रहा है - आयुध अधिनियम 1959 - धारा 25(1)(अ)

अभियोजन का मामला यह था कि अपीलार्थी द्वारा चलाई जा रही कार को शिकायतकर्ता पीडब्ल्यू-8 और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया था। पीछे की सीट पर बैठे तीन लोग भाग गए। शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी को गाडी से बाहर खींचने की कोशिश की। हाथापाई शुरू हो गई, जिसके दौरान अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता की सर्विस रिवाॅल्वर छीन ली और उस पर गोली चला दी। नीचे की अदालतों ने अपीलार्थी को अन्तर्गत धारा 307 व धारा 353 भा.दं.सं. के साथ अन्तर्गत धारा 25(1) (अ) आयुध अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने के लिए दोषी ठहराया गया। इसलिए अपील प्रस्तुत की गयी।

अपील की अनुमति प्रदान करते हुए न्यायालय

अभिनिर्धारित 1.1. बयान में डाॅक्टर, पीडब्ल्यू-5 ने उसके द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट की तुलना में अभियोजन के मामले की कमियों को स्वीकार किया गया। उसके बयानों से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा पहने गए कपडों में से गोली लगने के कथित प्रवेश चिन्हों के कथित निशान के संबंध में बहुत सारी विसंगतिया थी। "यादी" के माध्यम से किसी तरह की मेक -शिफ्ट रिपोर्ट उनके सामने रखी गयी थी, जो शिकायतकर्ता द्वारा तैयार की गयी थी। जिस पर वह पूरी तरह से निर्भर था। अभियोजन द्वारा उससे इस बारे में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया गया कि शिकायतकर्ता को लगी चोट की प्रकृति किसी खुरदरे पदार्थ पर त्वचा के रगड के कारण नहीं आ सकती है। शिकायतकर्ता को जो चोट

लगी थी वह कथित तौर पर उसकी कमर में लगी थी। यह प्रश्नचित्त है कि फायर आमर्स से चलायी गयी गोली से इतनी साधारण चोट कैसे लग सकती है। जहां तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट की बात है तो कपड़ों के घायलों के होने की पहचान नहीं हो सकी है। यह भी अभिलिखित किया जा सकता है कि दो गोलियां फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजी गई थीं, हालांकि अभियोजन का विशिष्ट मामला यह है कि केवल एक गोली चलाई गई थी। इसलिए, एक ही गोली से दो गोलियों के छेद होना संभव नहीं था, एक पतलून में और दूसरा कमर में। गोली कहां से बरामद हुई, इसका खुलासा नहीं हुआ है? मजहर के गवाहों ने यह नहीं बताया कि उनकी मौजूदगी में घटनास्थल से कोई गोली बरामद हुई थी। [पैरा 7-9] [73-जी, 74-ई-एच, 75 ए-बी]

1.2. शिकायतकर्ता के अनुसार फायर की आवाज सुनकर उसे फायरिंग की जानकारी हुई । उसने तुरंत रिवाल्वर के ट्रिगर में अपनी उंगली डाल दी और अपीलार्थी को अपनी कलाई से पकड़ लिया । यदि शिकायतकर्ता की उंगली स्वयं रिवाल्वर के ट्रिगर पर थी, तो यह विश्वास करना कठिन है कि जिस कृत्य की शिकायत की गई उसके लिए अपीलार्थी जिम्मेदार था। उनके अनुसार, जब्ती घटना स्थल पर हुई थी लेकिन पंच गवाहों ने उनका खंडन किया क्योंकि उनके अनुसार, उनसे केवल पुलिस स्टेशन में जब्ती सूची पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। वह उक्त बयान से पलट गया और अपने मुख्य परीक्षण में एक और कहानी गढ़ी कि अन्य

पुलिस कर्मियों ने उनका पीछा किया और वे भाग गए । पीडब्लू.9 ने अपने बयान में कहा कि वाघेला ने अपीलार्थी का हाथ पकड़ लिया था और उसे अपने वाहन से उतरने के लिए कह रहा था, तभी हाथापाई हुई । उक्त गवाह ने कहा कि खून बह गया था लेकिन शिकायतकर्ता की बनियान पर खून का कोई धब्बा नहीं था। महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू.9 ने कहा कि ड्राइविंग सीट के पास वाहन के दरवाजे बंद थे। इस प्रकार, जिस तरह से घटना घटी थी, उसके संबंध में बहुत सारी विसंगतियां मौजूद हैं। शिकायतकर्ता ने स्वयं अपनी गवाही में यह नहीं कहा कि तीनों व्यक्ति, जो पीछे की सीट से उतरकर भागे थे, उनका किसी ने पीछा किया था। यह मानते हुए भी कि पीडब्लू.8 को फायर आमर्स से चोट लगी है, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संभव प्रतीत नहीं होता है, अभियोजन के सकारात्मक सबूतों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पीडब्लू. 4 नीलाभाई ने कहा है, यह निश्चित लगता है कि हाथापाई की नौबत आ गई। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का मामला नहीं बनाया गया है। [पैरा 10-14] [75-बी-सी, ई-जी, 76 बी-डी]

परशुराम पांडे और अन्य बनाम बिहार राज्य (2004) 13 एससीसी डी 189, सगायम बनाम कर्नाटक राज्य (2000) 4 एससीसी 454; मेरामभाई पुंजाभाई खाचर और अन्य बनाम गुजरात राज्य एआईआर (1996) एससी 3236 पर आधारित।

2. यदि बंदूक की गोली से पीडब्लू.8 की हत्या के प्रयास का अभियोजन मामला विफल हो जाता है, तो परिणामस्वरूप, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अभियोजन भी विफल हो जाएगा। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत भी कोई मामला नहीं बनाया गया है। [पैरा 15, 16] [76 एफ-जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1696/2007

गुजरात उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय दिनांकित 7.12.2006 अहमदाबाद सी.आर.एल.ए. क्रमांक 1832/2006 से.

एस.बी.उपाध्याय, संतोष मिश्रा, शिवमंगल शर्मा, राजेश आर. दुबे, तेजमल रांका और शर्मिला उपाध्याय अपीलार्थी की ओर से

वी.मधुकर, पिंकी, जेसल वाही और संगीता सिंह (हरमिका वाही की ओर से) प्रतिवादी की ओर से

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एस.बी.सिन्हा, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 353 के साथ आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए) के तहत अपराध करने का

आरोप लगाया गया और दोषी ठहराया गया; और क्रमशः पांच वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/- रुपयेे जुर्माना, दो वर्ष और 1000/- रुपये जुर्माना तथा तीन वर्ष और 1000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार हैः

"अपीलार्थी टाटा स्पेसियो कार का ड्राइवर था। उसके साथ तीन अन्य व्यक्ति भी थे। वे पिछली सीट पर बैठे थे। उक्त कार को शिकायतकर्ता पीएसआई बाबाजी जावनजी वाघेला (पीडब्लू.8) और अन्य पुलिस अधिकारियों ने रोका था। उक्त लोग भाग गये। शिकायतकर्ता वाघेला ने अपीलार्थी को कार से बाहर खींचने की कोशिश की। कथित तौर पर उसने विरोध किया। उसे कार से बाहर निकालने के लिए बल प्रयोग किया गया। हाथापाई शुरू हो गई, जिसके दौरान कथित तौर पर उसने शिकायतकर्ता की सर्विस रिवाल्वर छीन ली और उस पर गोली चला दी। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि शिकायतकर्ता वाघेला (पीडब्लू.8) को लगी चोट इस प्रकार हैः

" एच/ओ आरोपी द्वारा सर्विस रिवाॅल्वर से (इस प्रकार) फायरिंग की गई है।

(अपठनीय) कमर के दाहिनी ओर (अपठनीय)

1 x 1/2 सेमी सतही खरोंच (अपठनीय)

कपड़े और पंचर और बनियान पर सतही काली गैस दिखाई देती है।

4. शिकायतकर्ता के कपड़े और कारतूस के साथ रिवाॅल्वर को भी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया था। यह पाया गया

"नमूना- एः यह एक पतलून है। उक्त पतलून की जेब पर छेद का (इस प्रकार) रासायनिक विश्लेषण और सूक्ष्म परीक्षण करने पर, यह पता चलता है कि नमूना ए पर छेद फायर आमर्स डिस्चार्ज के कारण हुआ है। उक्त पतलून में छेद नमूना एफ की गोली की सहायता से हो सकता है।

नमूना-बीः यह एक शर्ट है। उक्त शर्ट की कमर के दाहिनी ओर दिखने वाले काले धब्बे

का रासायनिक विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि उक्त शर्ट की कमर के दाहिनी ओर काला धब्बा फायर आमर्स डिस्चार्ज के कारण उत्पन्न हुआ है।

नमूना-डीः यह स्पेन में निर्मित लामा कंपनी की 0.38 इन्च रिवाल्वर है।

उक्त रिवाल्वर के बैरल वॉश (इस प्रयोगशाला में परीक्षण फायरिंग करने से पहले) का विश्लेषण करने पर नाइट्रेट के अवशिष्ट और फायर आमर्स के लैड के अवशेषों की उपस्थिति देखी गई। इससे पता चलता है कि इस प्रयोगशाला में लाए जाने से पहले उक्त नमूना डी के पिस्तोल से फायरिंग की गई थी।

इस प्रयोगशाला के स्टॉक से 0.38 इन्च रिवाल्वर के दो कारतूस लेकर नमूना डी के रिवाल्वर के चैंबर से फायर करने पर उससे सफलतापूर्वक फायर किया गया है। इससे पता चलता है कि उक्त नमूना डी का रिवाल्वर चालू हालत में है।

नमूना ई. यह 0.38 इन्च रिवाल्वर के कारतूस का खाली खोल है। कारतूस के उक्त खाली खोल के परक्यूशन कैप पर दांतेदार निशान था। दांतेदार निशान की विशेषताओं के बारे में सुक्ष्मदर्शी यन्त्र से जांच और तुलना करते समय उक्त कारतूस के दांतेदार निशान और नमुना डी के रिवाल्वर से दागे गए कारतूस के दांतेदार निशान पर फायरिंग पिन के निशान एक जैसे पाए गए। इससे पता चलता है कि नमूना ई के कारतूस का नमूना नमूना डी के रिवाल्वर से फायर किया गया है।

नमूना-एफः यह 0.38 इन्च रिवाल्वर कारतूस की एक तांबे की जैकेट वाली गोली है। नमूना डी के पिस्तोल से परीक्षण की गई गोली पर

राइफलिंग मार्क और बुलेट पर राइफलिंग मार्क की विशेषताओं के बारे में सुक्ष्मदर्शी यन्त्र से परीक्षण और तुलना करते समय, वे समान पाए गए। इससे पता चलता है कि नमूना एफ की गोली नमूना डी के रिवाल्वर से फायर की गयी है।

नोटः नमूना डी से परीक्षण किए गए कारतूस के दो खोल और गोली पार्सल डी के साथ संलग्न है।

पार्सल बी के बनियान पर मौजूद खून की जांच रिपोर्ट (नमूना बी) जीव विज्ञान विभाग से प्राप्त होने पर अलग से प्रेषित की जाएगी।"

5. शिकायतकर्ता ने स्वयं को पीडब्लू.8 के रूप में परीक्षित कराया है। एक अमृतलाल (पीडब्लू.2) जो सीआईडी का पीएसआई है और कथित तौर पर शिकायतकर्ता के साथ गया था, उसने अभियोजन मामले का समर्थन करना चाहा। हालाँकि, उसे घटना के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। उसने इसके बारे में शिकायतकर्ता से ही सुना था। वस्तू की जब्ती के संबंध में, पीडब्लू.7 खेंगारभाई ने यह कथन किया है किः

"पुलिस ने कितने पंचनामा तैयार किए, यह मुझे नहीं पता। मैंने 4 से 5 पर अपने हस्ताक्षर किए। पहले कपड़ों के संबंध में पंचनामा तैयार किया गया, उसके बाद रिवाल्वर के संबंध में पंचनामा तैयार किया गया। पहला पंचनामा समाप्त होते ही दूसरा पंचनामा तैयार किया गया। जब मैं थाने गया तो उस समय थाने में टेबल पर कपड़े और रिवाल्वर पड़ी हुई थी। पंचनामा तैयार करने वाली पुलिस ने मुझे बताया कि वे कपड़े

पीएसआई वाघेला के थे। थराद पुलिस ने रिवाल्वर दिखाई । वाघेला वहीं बैठे थे। उक्त रिवाल्वर खाली थी लेकिन खुली नहीं। अंदर कितने कारतूस मौजूद थे, यह मैंने नहीं देखा। मैंने बनियान और पतलून में छेद देखा है। छेद पतलून के बाईं ओर मौजूद था। वह छोटा और गोल थाए जैसा कि मुझे गोल छेद में दिखाया गया है, हमारी भाषा में है, मुझे अब याद नहीं है। आज जो पतलून मुझे दिखाई गई है उसमें दाहिनी ओर छेद है।''

6. वे सभी गवाह, जिनके बारे में कहा गया था कि वे स्वतंत्र गवाह थे, अर्थात् पीडब्लू.-3, 6, 7 और 10, पक्षद्रोही हो गए। उनके अनुसार थाने में रखे कपड़े आदि की जब्ती का उन्हें गवाह बनाया गया था।

7. डाॅ. दीपक कुमार ने स्वयं को पीडब्लू.5 के रूप में परीक्षित कराया है। उसने अपने साक्ष्य में मेडिकल रिपोर्ट को प्रमाणित किया। सभी आशय और अभिप्राय के लिए अपने बयान में, उन्होंने अपने द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की तुलना में अभियोजन मामले में कमियों को स्वीकार करते हुए कथन किया;

'' यह सच है कि मैंने प्रमाण पत्र में इतिहास लिखा है, यादी में वह इतिहास दर्ज किया गया है। यदि बनियान में छेद है तो उस पर पहनी जाने वाली शर्ट में भी छेद होना चाहिए या यदि बुशर्ट फटा है तो शर्ट में भी छेद होना चाहिए या पहनी हुई बुशर्ट फटी हुई पाई गई।

पतलून को देखकर यह सच है। मैं कहता हूं कि उस पर पेंसिल से एक गोला बनाया गया है। वह गोली से नहीं फटा है। यह सच है कि पतलून को देखकर मैं कहता हूं कि यह प्रवेश का कट नहीं है। यह सच है कि अगर बनियान में छेद है तो दो छेद मिलने चाहिए एक प्रवेश का और दूसरा निकास छेद। अन्यथा खरोंच लगने पर बनियान समान फटी हुई पायी जाती।

यह सच है कि मैंने फायर आमर्स के निशानों का उल्लेख नहीं किया है। यह सच है कि अगर कोई चोट फायर आमर्स या गोली से लगी हो तो किनारे पर जलने का निशान होता है। वर्तमान मामले में जलने की कोई चोट नहीं पाई गई है। यह सच है कि अगर शूटर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करता है तो घाव के पास काला रंग पाया जाता है। जब मैंने मरीज की चोट देखी तो उस पर ऐसा कोई काला निशान नहीं था। शर्ट पर काला निशान था। यह सच है कि खुरदुरे सतह पर रगड़ने से खरोंच का निशान पड़ सकता है।''

8. पीडब्लू.-5 द्वारा दिए गए बयानों से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता के कपड़ों के माध्यम से गोली के प्रवेश के कथित निशानों के संबंध में भी बहुत सारी विसंगतियां मौजूद थीं। ''यादी'' के माध्यम से कुछ प्रकार की अस्थायी रिपोर्ट उनके सामने रखी गई थी। जिसे शिकायतकर्ता द्वारा तैयार की गयी थी और जिस पर वह पूरी तरह से निर्भर था। यदि कपड़ों में कोई जली हुई चोट नहीं पाई गई, तो यह विश्वास करना कठिन है

कि घाव में कोई जली हुई चोट देखी गई है। अभियोजन पक्ष को उससे इस बारे में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया गया कि शिकायतकर्ता को लगी चोट की जो प्रकृति थी, वह किसी खुरदरे पदार्थ पर त्वचा की रगड़ के कारण नहीं आ सकती।

9. हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि शिकायतकर्ता को जो चोट लगी वह कथित तौर पर उसकी कमर में लगी थी। यह प्रश्नचित कि फायर आमर्स से चलाई गई गोली से इतनी साधारण चोट कैसे लग सकती है।जहां तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट की बात है तो कपड़ों के घायलों के होने की पहचान नहीं हो सकी है। यह भी अभिलिखित किया जा सकता है कि दो गोलियां फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजी गई थीं, हालांकि अभियोजन का विशिष्ट मामला यह है कि केवल एक गोली चलाई गई थी। इसलिए, एक ही गोली से दो गोलियों के छेद होना संभव नहीं था, एक पतलून में और दूसरा कमर में। गोली कहां से बरामद हुई, इसका खुलासा नहीं हुआ है। मजहर के गवाहों ने यह नहीं बताया कि उनकी मौजूदगी में घटनास्थल से कोई गोली बरामद हुई थी।

10. पी.डब्ल्यू.8 के अनुसार, फायर की आवाज सुनकर उसे फायरिंग की जानकारी हुई। उसने तुरंत रिवाल्वर के ट्रिगर में अपनी उंगली डाल दी और अपीलार्थी को अपनी कलाई से पकड़ लिया। यदि शिकायतकर्ता की उंगली स्वयं रिवाल्वर के ट्रिगर पर थी, तो यह विश्वास करना कठिन है कि जिस कृत्य की शिकायत की गई उसके लिए अपीलार्थी जिम्मेदार था।

उनके अनुसार, जब्ती घटना स्थल पर हुई थी लेकिन पंच गवाहों ने उनका खंडन किया क्योंकि उनके अनुसार, उनसे केवल पुलिस स्टेशन में जब्ती सूची पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अनुसंधान अधिकारी के समक्ष अपने बयान में, पीडब्लू.8 ने कहाः

".....स्पेसियो में तीन व्यक्ति थे, लेकिन वे वाहन के दरवाजे खोलकर सभी खेत में भागने लगे और जैसे ही वाहन का चालक स्टीयरिंग व्हील पर बैठा था, हम पुलिस कर्मियों के साथ अपनी मोबाइल वैन से नीचे उतरे आैर स्पाॅसियो के ड्राइवर को पकडने के लिए पहुॅंचे....."

11. वह उक्त बयान से पलट गया और अपने मुख्य परीक्षण में एक और कहानी रची कि अन्य पुलिस कर्मियों ने उनका पीछा किया और वे भाग गए।

12. पी. डब्लू.9 मान सिंह ने अपने बयान में कहा कि वाघेला ने अपीलार्थी का हाथ पकड़ लिया था और उसे अपने वाहन से उतरने के लिए कह रहा था, तभी हाथापाई हुई। उक्त गवाह ने कहा कि खून बह गया था लेकिन शिकायतकर्ता की बनियान पर खून का कोई धब्बा नहीं था। महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू.9 ने कहा कि ड्राइविंग सीट के पास वाहन के दरवाजे बंद थे। अपने बयान में उसने कहाः

"उस समय मैंने उसे रिवाल्वर निकालते नहीं देखा था। हालाँकि, मैंने उसके हाथ में रिवाल्वर देखी। गोली चलाने के बाद साहब ने उसकी कलाई पकड़ ली। आरोपियों के हाथ कलाई से बंधे हुए थे। उस वक्त उनके हाथ

ऊपर की तरफ थे। उस समय फायरिंग नहीं हुई। यह सच नहीं है। आरोपी ने फायरिंग नहीं की है और साहब को चोट नहीं आई है, यह सच नहीं है। हाथापाई के दौरान साहब को खरोंच का निशान आ गया। तीन आरोपी जो बचकर भाग गए, वे पकड़े नहीं गए;

13. इस प्रकार, जिस तरह से घटना घटी थी, उसके संबंध में बहुत सारी विसंगतियां मौजूद हैं। शिकायतकर्ता ने स्वयं अपनी गवाही में यह नहीं कहा कि तीनों व्यक्ति, जो पीछे की सीट से उतरकर भागे थे, उनका किसी ने पीछा किया था।

14. यह मानते हुए भी कि पीडब्लू.8 को फायर आमर्स से चोट लगी है, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संभव प्रतीत नहीं होता है, अभियोजन के सकारात्मक सबूतों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि पीडब्लू.4 नीलाभाई ने कहा है, यह निश्चित लगता है कि हाथापाई की नौबत आ गई। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का मामला नहीं बनाया गया है।

धारा 307 की विशिष्टियां हैंः

(i) हत्या कारित करने के संबंध में आशय या ज्ञानः और

(ii) इसके प्रति कोई कार्य करना।

[देखें परशुराम पांडे और अन्य बनाम बिहार राज्य 1, (2004) 13 एससीसी 189, सगायम बनाम कर्नाटक राज्य 2, (2004) 4 एससीसी 454

और मेरामभाई पंजाबभाई खाचर और अन्य बनाम गुजरात राज्य 3, एआईआर 1996 एससी 3236]

15. यदि बंदूक की गोली से पीडब्लू.8 की हत्या के प्रयास का अभियोजन मामला विफल हो जाता है, तो परिणामस्वरूप, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत भी अभियोजन विफल हो जाएगा।

16. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत भी कोई मामला बनना नहीं पाया गया है। अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को रिहा करने का निर्देश दिया जाता है यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजीव चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।